Plot

विक्रय-पत्र

4233

बैनामा :- 4,00,000/-रुपये

बाजारी मालियत :- 2,50,945/-रुपये

स्टाम्प शुल्क :- 14700/-रुपये

इकरारनामे में अदा स्टाम्प शुल्क :- नहीं

वर्तमान में दिया गया स्टाम्प शुल्क :- 14700/-रुपये

कुल शीटों की संख्या :- 14 किते

विक्रित सम्पत्ति का कुल क्षेत्रफल :- 0-1619 हेक्टेयर

वार्षिक लगान :- 8/-रुपये 10पैसे

विक्रित सम्पत्ति का विवरण :- कृषि भूमि

(कृषि/आवासीय/व्यवसायिक/औद्योगिक, और सम्पत्ति यदि भवन है तो निर्माण का वर्ष और निर्माण का प्रकार व एक मंजिली अथवा बहुमंजिली।

कवर्ड एरिया (यदि निर्माण है तो) नहीं

स्थित ग्राम / नगर :- ग्राम पुहाना मुस्तहकम परगना भगवानपुर तहसील रुडकी जिला हरिद्वार

(मौजा या मौहल्ला, परगना, तहसील, नगरीय, अर्द्धनगरीय आदि)

क्रेता तथा विक्रता अनुसूचित जाति अथवा जन जाति से संबंधित है अथवा नहीं :- नहीं

विक्रेता का स्वामित्व का आधार :- भूमिधरी

भूमि पट्टे आदि की है अथवा नहीं :- नहीं

चकबन्दी चल रही है अथवा नहीं:- चल रही है

कृषि भूमि की स्थिती में :- सिंचित

(बाग, सिंचित / असिंचित अथवा सर्किल दर सूची की श्रेणी के अनुसार सिंचित अथवा असिंचित)

रेट लिस्ट में पृष्ठ संख्या 26 क्रमांक 16 श्रेणी x

सर्किल रेट :- 15,50,000/-रुपये प्रति हेक्टेयर

आवास विकास शुल्क के अन्दर है अथवा बाहर :- बाहर

मुख्य सड़क से दूरी (50 मी अथवा 50 मी से अधिक) :- मुख्य सडक से 200मीटर से अधिक है दिल्ली-देहरादून मार्ग से करीब 1/2 कि0मी0 दूर है

क्या क्रेता उत्तराखण्ड राज्य का दि0 12-09-03 ई से पूर्व का कृषक / अचल सम्पत्ति धारक है, यदि हाँ तो सम्पत्ति कहा स्थित हैं :- क्रेता के पास, दि0 12-9-03ई0 से पूर्व अचल सम्पत्ति है

फोटो व अंगुष्ठ चिन्ह प्रमाणित कर्ता :गवाहो की पहचानपर, जगदीश सिंह चौहान एडवोकेट रुडकी

विक्रेता का नाम, पिता का नाम व पता :- साबिर पुत्र श्री नाजर निवासी ग्राम पुहाना परगना भगवानपुर तहसील रुडकी जिला हरिद्वार।

साबिर

साबिर

... Chauhan
Advocate
... Sc. LL.B.
Regn. ... 467/...
Civil Court, Roorkee

Kamal...

Kamal...

Civil Court, Roorkee

Scanned with CamScanner

विदित हो कि प्रतिज्ञ (विक्रेता) निम्नलिखित सम्पत्ति के स्वामी व अधिकारी है जो इस समय तक हर प्रकार के भार तथा प्रतिबन्ध आदि से मुक्त है किसी प्रकार के हस्तांतरण तथा बन्धक आदि नहीं है और कोई ऋण आदि महकमें 'बैंक, सोसायटी आदि से या व्यक्तिगत रूप से निम्नलिखित सम्पत्ति को बन्धक करके लिया हुआ नहीं है और निम्नलिखित सम्पत्ति को विक्रय व हस्तांतरित करने में प्रतिज्ञ पूर्ण रूप सक्षम है। अत: प्रतिज्ञ ने अपनी मन बुद्धि तथा इन्द्रियों की स्वस्थ दशा में बिना किसी जोर व दवाब के निम्नलिखित सम्पत्ति को बदले मुबलिग 4,00,000/- चार लाख रुपये मे हाथ श्रीमति कोमल जैन पत्नी श्री प्रेमचन्द जैन निवासी 490, पुरानी तहसील रुड़की परगना व तहसील रुड़की जिला हरिद्वार। क्रेता को उत्तरांखण्ड शासन द्वारा पत्रांक सं0 297(1)-27(9)/2006 दिनांक 18-8-06ई0 को स्टाम्प मे 25 प्रतिशत की छूट दी गयी है। विक्रीत भूमि के सर्किल रेट से मूल्यांकन 2,50,945/-रुपये पर स्टाम्प 4.5 प्रतिशत की दर से 11300/-रुपये व सर्किल रेट व वास्तविक मूल्यांकन मे अन्तर 1,49,055/-रुपये पर 2.25 प्रतिशत की दर से स्टाम्प 3400/-रुपये है इस प्रकार कुल स्टाम्प मु0 14700/-रुपये अदा किया जा रहा है।

को विक्रय व हस्तांतरित कर दी है तथा कुल मूल्य राशि की प्राप्ति का ब्यौरा निम्नलिखित है तत्पश्चात् इसके कोई मूल्य राशि क्रेता के जिम्मे शेष नहीं रही और न भविष्य में होगी। कब्जा व दखल क्रेता महोदय का बखूबी ब काई मौके पर करा दिया है और अपना कब्जा हर प्रकार से हटा लिया है अब प्रतिज्ञ वचन देते और प्रतिज्ञा करते हैं कि क्रेता महोदय सदैव निम्नलिखित सम्पत्ति पर अपना समस्त अधिकार व स्वामित्व सहित कब्जा करके लाभ हर प्रकार का प्राप्त करें हर प्रकार से अपने भोग व प्रयोग में लावें और जो चाहें सो करें अब प्रतिज्ञ तथा उसके उत्तराधिकारी को, विक्रय की हुई निम्नलिखित सम्पत्ति तथा उसकी मूल्य राशि से कोई सम्बन्ध किसी प्रकार का नहीं रहा और न ही भविष्य में होगा। यदि बाद में किसी नुक्स कानूनी के कारण या किसी वाद-विवाद करने पर निम्न सम्पत्ति कुल या अंश कब्जा या दखल क्रेता उक्त से निकल जाये तो क्रेता को अधिकार होगा कि वह अपनी कुल या अंश मूल्य राशि मुझ प्रतिज्ञ से या मेरी जात खास जायदाद से वसूल कर लेंवें इसमें मुझ प्रतिज्ञ या उसके वारसान को उजर कोई नहीं होगा नीज प्रतिज्ञ उन जुमला कानूनी जिम्मेदारी जोकि बरूये एक प्रतिज्ञ पर आमद होता है का पूरा-पूरा पाबन्द व जिम्मेदार होगा व रहेगा।

अत: यह विक्रेय-पत्र लिख दिया है कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवे।

विवरण सम्पत्ति जो विक्रय की गई है। जोत चकबन्दी आकारपत्र 23 के अनुसार चक सं0 201 के प्रथम चक के प्रस्तावित गाटा नम्बरान 291मि0 रक्बा 0-1619 हेक्टेयर भूमि लगानी 8/-रुपये 10 पैसे सालाना स्थित ग्राम पुहाना मुस्तहकम परगना भगवानपुर -

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

दस हजार रुपये

रु. 10000

Rs. 10000

TEN THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

कोषाधिकारी रुड़की कोड संख्या–550
778260
24 MAY 2010
जिला हरिद्वार (उत्तराखण्ड)
XXX 2009-2010

§ 3 §

तहसील रुड़की जिला हरिद्वार, विक्रय की है । विक्रेता, क्रेता के नाम

साबिर

Kamal Saini

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

पाँच सौ रुपये Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

उत्तरांचल UTTARANCHAL 381775

॥ 4 ॥

दाखिल खारिज होने मे पूरा पूरा सहयोग करेगा । विक्रीत भूमि काश्त

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

उत्तरांचल UTTARANCHAL 381776

21 MAY

§5§

की भूमि है जो वास्ते काश्त बेची गई है । विक्रीत भूमि किती वाद

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500

FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये

सत्यमेव जयते

Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

UTTARANCHAL

381777

21 MAY 20

१६

विवाद मे ग्रस्त नही है क्रेता के पास साढे बारह स्वड से अधिक भूमि -

भारतीय गैर न्यायिक
भारत INDIA
रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES
पाँच सौ रुपये Rs. 500
सत्यमेव जयते
INDIA NON JUDICIAL

कोषाधिकारी रुड़की कोड संख्या-5500
24 MAY 2010
जिला हरिद्वार 277234
2009-2010

उत्तरांचल UTTARANCHAL

उत्तराखण्ड राज्य मे नही है । विक्रीत प्रथम पक्ष मे मुझ विक्रेता का

Kamal Rani

भारतीय गैर न्यायिक
भारत INDIA
रु. 500
FIVE HUNDRED RUPEES
पाँच सौ रुपये
सत्यमेव जयते
Rs. 500
INDIA NON JUDICIAL

** कोषाधिकारी
रुड़की
कोड संख्या–5500
24 MAY 2010

UTTARANCHAL

277235

(8)

कोई हक व हिस्सा शेष नहीं रहा है और न ही भविष्य मे होगा

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

** कोषाधिकारी
रुद्रपुर
संख्या—5500
24 MAY 2010

UTTARANCHAL 277236

(7)

मय गुमला हक हकूक हर प्रकार सहित ।

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

** कोषाधिकारी **
रुड़की
कोड संख्या-5500
24 MAY 2010

UTTARANCHAL 277237

१।फ़ू

तफसील वसूल यावी जरेसमन :- कुल मूल्यराशि मु0 4,00,000/-रुपये

क्रेता से नकद प्राप्त कर लिये है अब मेरी कोई मूल्यराशि क्रेता के

जिम्मे शेष नहीरही है और न ही भविष्य मे होगी ।

Scanned with CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

** कोषाधिकारी **
रुड़की
कोड संख्या–5500
24 MAY 2010

UTTARANCHAL

277238

{ 11 }

विक्रेता के बाये हाथ की अंगुलियो के निशान :-

विक्रेता के दाये हाथ की अंगुलियो के निशान :-

भारतीय गैर न्यायिक
भारत INDIA
रु. 500
FIVE HUNDRED RUPEES
पाँच सौ रुपये
सत्यमेव जयते
Rs. 500
INDIA NON JUDICIAL

कोषाधिकारी
रुड़की
संख्या-5500
24 MAY 2010

277239

UTTARANCHAL

§12§

क्रेता के बाये हाथ की अंगुलियो के निशान :-

क्रेता के दाये हाथ की अंगुलियो के निशान :-

Scanned with CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

C 716588

** कोषाधिकारी ... कोड ... 12 ... जिला हरिद्वार (उत्तराखण्ड) XXX 2009-2010 +++

गवाह :-

गवाह :-

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

C 716589

§ 14 §

तहरीर तारीख:-25-5-2010ई0

गवाहो की पहचानपर

फोटो प्रमाणित व

ड्राफ्टिड बाई :- कादीरसिंह चौहान एडवोकेट रूडकी

टाइप कर्ता :-धूमसिंह रूडकी

Scanned with CamScanner

सत्यप्रतिलिपि

कार्यालय बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी हरिद्वार स्थान रुड़की

प्रार्थना पत्र सं0 100 अन्तर्गत धारा–5 ग जो0 च0 अधि0

श्रीमती कोमल जैन बनाम सरकार

ग्राम पुहाना मुस्तहकम परगना भगवानपुर तहसील रुड़की जिला हरिद्वार

अनुमति पत्र

श्रीमती कोमल जैन पत्नी प्रेमचन्द जैन निवासी 490 पुरानी तहसील रुड़की परगना व तहसील रुड़की जिला हरिद्वारा में जोत चकबन्दी अधिनियम की धारा–5ग के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मांग की है कि ग्राम पुहाना मु0 परगना भगवानपुर तहसील रुड़की जिला हरिद्वार के चक संख्या 201 के गाटा स0 291 मि0 रकबा 0.1619 है0 प्रस्तावित रकबा वैनामा द्वारा क्रय किया गया है पर कृषि कार्य से भिन्न प्रयोजनार्थ (आबादी निर्माण) करने की अनुमति प्रदान की जाए।

प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र पर सहायक चकबन्दी अधिकारी से आख्या प्राप्त की गई। स0च0अ0 ने अपनी आख्या में उल्लेख किया है कि प्रार्थीया द्वारा उक्त भूमि प्रस्तावित चक वैनामा द्वारा क्रय किया गया है और तन्हा स0भू0 के स्वामी है तथा अपनी भूमि पर काबिज है। इस भूमि के सम्बन्ध में किसी भी न्यायालय में कोई वाद विचारधीन नहीं है। जिसके सम्बन्ध में शपथ पत्र पत्रावली पर उपलब्ध है और यह भूमि आ0प0 21 में भी सुरक्षित नहीं है।

मैने प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र पर प्रस्तुत पत्र पर एवं सहायक चकबन्दी अधिकारी की आख्या एवं प्रार्थीया का शपथ पत्र का अवलोकन किया गया। प्रश्नगत भूमि जो0ला0–21 में भी सुरक्षित नहीं की गई है। इसलिए उल्लेखित तथ्यो के आधार पर कृषि कार्य से भिन्न प्रयोजनार्थ (आबादी निर्माण) करने की अनुमति दी जा सकती है।

आदेश

उपरोक्त विवेचना के आधार पर प्रार्थीया श्रीमती कोमल जैन पत्नी प्रेमचन्द जैन निवासी 490 पुरानी तहसील रुड़की का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। ग्राम पुहाना मु0 के प्रस्तावित प्रथम चक सं0 201 के गाटा सं0 291 मि0 रकबा 0.1619 है0 भूमि पर सी0एच0 एक्ट के अन्तर्गत कृषि कार्य से भिन्न प्रयोजनार्थ (आबादी निर्माण) अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती हैं कि आवासी निर्माण के अलावा अन्य किसी प्रयोजन हेतु शासन द्वारा निर्धारित नियमों के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी के आवश्यक अनुमति प्राप्त करेगें। यह आदेश 90 दिन तक प्रभावी समझा जायेगा।

पत्रावली वाद अमल दरामद दाखिल दफ्फतर की जाए।

P.T.O

सह0 बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी
हरिद्वार स्थान रुड़की

Scanned with CamScanner

Photo & Certificate

Seller

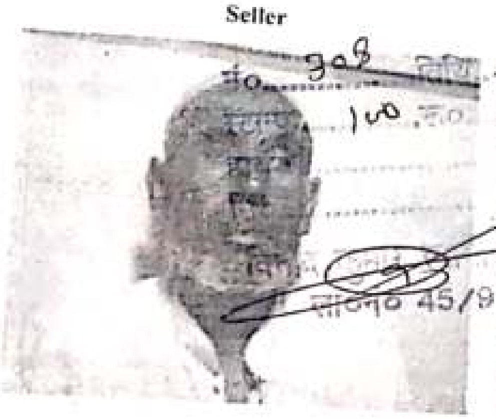

Buyer

Witness 1

Witness 2

बही नम्बर	1	जिल्द	1,232	पृष्ठ	25	से	52

में नम्बर 4233 पर आज दिनांक 28-May-2010 में रजिस्ट्री की गयी।

उप निबन्धक

SROI Roorkee
28-May-2010

उ०प० अध्याय 1-170
28/7/11